

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer

प्रवेशिका परीक्षा

कक्षा-10

2026 (संशोधित)



कक्षा-10 (प्रवेशिका) परीक्षा, 2026 के लिए आवश्यक निर्देश

1. परीक्षा वर्ष 2026 की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तकों में मुद्रित पाठ्यक्रम तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये पाठ्यक्रम/अंक विभाजन में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड अद्यतित (UPDATED) पाठ्यक्रम में दिया गया अंक विभाजन ही मान्य होगा।
2. विवरणिका के इस भागमेंकक्षा 10 (प्रवेशिका) परीक्षा, 2026 का पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें, जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये हैं, दी गई हैं।
3. कक्षा-10 (प्रवेशिका) परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि एक वर्ष है। इस हेतु विवरणिका में वार्षिक परीक्षा-योजना प्रस्तावित की गई, किन्तु इस सम्बन्ध में इसकी क्रियान्विति विभागीय निर्देशों के सन्दर्भ में की जायेगी।
4. विषयों के शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित कालांश

क्र.सं.	विषय	कालांश
1.	हिन्दी	6
2.	अंग्रेजी	6
3.	संस्कृतम्	9
4.	विज्ञान	6
5.	सामाजिक विज्ञान	6
6.	गणित	8

7. व्यावसायिक शिक्षा (अतिरिक्त वैकल्पिक विषय) कोई एक

- | | |
|---|--|
| (i) ऑटोमोटिव (101) | (ii) ब्यूटी एण्ड वैलनेस (102) |
| (iii) हेल्थकेयर (103) | |
| (iv) इन्फोरमेशन टेकनोलॉजी (IT) / इन्फोरमेशन टेकनोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज (ITes) (104) | |
| (v) रिटेल (105) | (vi) ट्रेवल एण्ड ट्यूरिज्म / ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) |
| (vii) निजी सुरक्षा (107) | (viii) एपैरलमेड-अप्स एण्ड होमफर्निशिंग (108) |
| (ix) इलेक्ट्रॉनिक्स (109) | (x) एग्रीकलचर (110) (xi) पलम्बर (111) |
| (xii) टेलीकॉम (112) | (xiii) बैंकिंग फाईनेन्शियल सर्विसेज एण्ड इन्श्योरेंस (113) |
| (iv) कंस्ट्रक्शन (114) | (xv) फूड प्रोसेसिंग (115) |

नोट : इस विषय के शिक्षण के लिए विद्यालय में अतिरिक्त समय की व्यवस्था की जाए।

उपायुक्त व्यवसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/व्या. शि/BSER/2024-25 दिनांक 24.07.2025 के अनुसार सत्र 2025-26 में उक्तानुसार ट्रेड्स/सेक्टर व्यवसायिक शिक्षा में संचालित होंगे।

- | | |
|--|---|
| 8. राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति | 2 |
| 9. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-II | 2 |
| 10. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (खेल प्रवृत्तियां '0' कालांश) | 2 |
| 11. (1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा | 1 |
| (2) कला शिक्षा | |
| 12. नैतिक शिक्षा : प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित | |
| 13. पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश / मध्य अन्तराल में | |

प्रवेशिकाकक्षा 10 परीक्षा-2026 के लिए परीक्षा योजना

संस्कृत परीक्षाएं

(बोर्ड विनियम अध्याय 20 (क))

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान संस्कृत की निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करेगा (क) प्रवेशिका (ख) वरिष्ठ उपाध्याय।
2. स्वयंपाठी अभ्यर्थी के अतिरिक्त परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उस परीक्षा में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए निर्धारित अवधि तक उस स्तर के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेना होगा और उस संस्था में उसे नियमित रूप से सत्रांत तक अध्ययन करना होगा।
3. (अ) प्रवेशिका परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कक्षा-8 उत्तीर्ण अथवा कक्षा-9 में अनुत्तीर्ण / अध्ययनरत प्रव्रजित छात्र के लिए दो वर्ष का अध्ययन आवश्यक होगा।

(ब) इस बोर्ड अथवा किसी अन्य बोर्ड व विश्वविद्यालय द्वारा सैकण्डरी स्कूल प्रवेशिका परीक्षा के समकक्ष कक्षा 9 उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण अथवा अध्ययनरत छात्र कक्षा 10/प्रवेशिका में प्रवेश के योग्य होगा। उसे एक वर्ष का अध्ययन आवश्यक होगा।

4. प्रवेशिका परीक्षा के प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा देनी होगी-

1. हिन्दी : एक पत्र
2. अंग्रेजी : एक पत्र
3. संस्कृतम् : दो पत्र
4. विज्ञान : एक पत्र
5. सामाजिक विज्ञान : एक पत्र
6. गणित : एक पत्र
7. व्यावसायिक शिक्षा (केवल चयनित विद्यालयों में)
8. राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति
9. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा
10. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-2
11. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W. & C.S.)
12. कला शिक्षा

ध्यातव्य-

1. कक्षा-10 (प्रवेशिका) परीक्षा 2026 के लिए संस्कृतम् (उपरोक्त बिन्दु 4 का क्रमांक-3) का पाठ्यक्रम, अंक योजना आगामी पृष्ठों पर दी गई है शेष सभी विषयों (उपरोक्त बिन्दु 4 में दिये अनुसार) का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें कक्षा 10 (माध्यमिक), परीक्षा 2026 के समरूप हैं, जिसका अवलोक नई विवरणिका में करें।
2. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा, कला शिक्षा विषय का विद्यालय स्तर पर सतत् आंतरिक मूल्यांकन।
3. स्वयंपाठी अभ्यर्थी, परीक्षाएं, नामांकन तथा प्रव्रजन शालाओं में प्रवेश एवं पूरक परीक्षा सम्बन्धी विनियम क्रमशः बोर्ड विनियम अध्याय 15, 16, एवं 17 में दिये अनुसार होंगे।
4. प्रवेशिका परीक्षा के अभ्यर्थी संस्कृतम् को छोड़कर शेष विषयों का उत्तर हिन्दी माध्यम से दे सकेंगे।
5. संस्कृतम् के प्रश्न पत्र का उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना आवश्यक होगा।

विषय एवं विषय कोड संख्या	प्रश्नपत्र	समय (घंटे)	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रयोगिक परीक्षा	सत्रांक का विभाजन						कुल सत्रांक	योग	उत्तीर्णांक
					स्थानीय परीक्षा %	प्रोजेक्ट	वृक्षारोपण	उपस्थिति	सद्व्यवहार	वृक्षारोपण			
हिन्दी अनिवार्य (01)	सैद्धान्तिक	3:15	40		5	2.5	0	1.5	½	½	10	50	17
अंग्रेजी अनिवार्य (02)	सैद्धान्तिक	3:15	40		5	2.5	0	1.5	½	½	10	50	17
विज्ञान (07)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	4	1	3	1	1	20	100	33
समाजिकविज्ञान (08)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
गणित (09)	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
संस्कृतम् ।	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
संस्कृतम् II	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	1	1	20	100	33
व्यावसायिक शिक्षा (कोई एक विषय) (केवल चयनित विद्यालयों में लागू)	सैद्धान्तिक	3:15	30		10	5	0	3	2	0	20	50	17
	प्रायोगिक	3:00		50								50	17
राज. इति. एवं संस्कृति(79) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80			20					20	100	33
शा. एव. स्वा. शिक्षा (82) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	80		10	5	0	3	2	0	20	100	33
सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा-II(80) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	सैद्धान्तिक	3:15	70									70	33
	प्रायोगिक			30								30	
समाजोपयोगी उत्पा. कार्य एवं समाजसेवा (81) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन	अनिवार्य प्रवृत्ति वैकल्पिक प्रवृत्ति शिविर		25 45 30	100									1. इनविषयों का अंकतालिका में ग्रेडिंग का अंकन होगा। 2. नियमित छात्रों के लिए अनिवार्य अर्हता कार्य पूर्ण करने का प्रमाणपत्र उपस्थितिपत्र के साथ ही शाला प्रधान द्वारा बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।
कला शिक्षा (83)	सैद्धान्तिक प्रयोगिक प्रस्तुतिकार्य		35 45 20		100								

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा-स/पर्यावरण(36)/वो-2/2025 दिनांक 20.08.2025 के अनुसार सत्रांकोमें वृक्षारोपण के अंकभार निर्धारण-

परीक्षा का नाम	कक्षा 10 अंक विभाजन						
	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	सामा.विज्ञान	संस्कृतम् I	संस्कृतम् II	विज्ञान
प्रथम परख	5	5	10	10	10	10	10
द्वितीय परख	5	5	10	10	10	10	10
अर्द्धवार्षिक परीक्षा	35	35	70	70	70	70	70
तृतीय परख	5	5	10	10	10	10	10
वार्षिक परीक्षा	40	40	80	80	80	80	80
वृक्षारोपण	1	1	1	1	1	1	2
प्रोजेक्ट	5	5	5	5	5	5	4
सद्व्यवहार	1	1	1	1	1	1	1
उपस्थिति	3	3	3	3	3	3	3
योग	100	100	200	200	200	200	200

नोट :-

1. सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालयों द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किये जायेंगे।
2. सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 20% होंगे अर्थात् पूर्णांक 100 में से 20 अंक सत्रांक के होंगे, जिसका विभाजन इस प्रकार होगा— नियमित विद्यार्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांको के लिए 10 अंक (हिन्दी, अंग्रेजी में 5-5), 5 अंक प्रोजेक्ट कार्य (हिन्दी, अंग्रेजी में 2.5-2.5 एवं केवल विज्ञान के लिए 4 अंक प्रोजेक्ट के एवं 1 अंक वृक्षारोपण का रहेगा), 3 अंक उपस्थिति (हिन्दी, अंग्रेजी में 1½-1½), 1 अंक सद्व्यवहार (हिन्दी, अंग्रेजी में ½-½), तथा 1 अंक वृक्षारोपण (मुख्य 6 विषयों में) के होंगे।
 - (i) उपस्थिति पर अंक निम्नानुसार दिये जा सकेंगे:-
75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक (केवल हिन्दी व अंग्रेजी के लिए ½ -½)
81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2 अंक (केवल हिन्दी व अंग्रेजी के लिए 1 -1)
86%से 100% तक उपस्थिति होने पर 3 अंक (केवल हिन्दी व अंग्रेजी के लिए 1½ -1½)
 - (ii) 1 अंक कक्षा में सद्व्यवहार का देय होगा तथा 1 अंक वृक्षारोपण का देय होगा (मुख्य 6 विषयों में) तथा केवल हिन्दी व अंग्रेजी के लिए ½ -½ देय होगा।
 - (iii) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।
 - (iv) सत्रांकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांको के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
 - (v)स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए अंकतालिका में विषयवार प्राप्तांक के 20% (केवल हिन्दी व अंग्रेजी के लिए 10% -10%) अंक पूर्णांक में परिवर्तित कर सत्रांक के रूप में दर्शाए जाएंगे।
3. स्वयंपाठी अभ्यर्थी समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W.), कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा—II विषयों से मुक्त रहेंगे।
4. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा—II तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अर्द्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णांक 100 में से विद्यालय बोर्ड को प्राप्तांक प्रेषित करेंगे। इन अंको का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रदत्त अंकतालिकाओं में कर दिया जायेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
5. सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा—II हेतु राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों का अवलोकन करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।
6. 'राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति' विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किये हों, तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।
7. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। इस विषय के प्राप्तांको को ग्रेड में परिवर्तित कर बोर्ड को प्रेषित करेंगे। विद्यालयों द्वारा प्रेषित ग्रेड को अंकतालिका में दर्शाया जायेगा।
8. (B) मूकबधिर एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (C.W.S.N.) को तृतीय भाषा की छूट रहेगी। यह छूट नियमित एवं स्वयंपाठी के लिए लागू रहेगी।